न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बड़गोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रा0पत्र संख्या–04 / 2025
प्रा0पत्र प्रविष्टि दिनांक–28.04.2025
निर्णय दिनांक–09.12.2025

1. रवि कुमार जैन पुत्र राजा बाबू जैन जाति महाजन निवासी मोहल्ला माणक चौक बाजार, मालपुरा, तह0 मालपुरा जिला टोंक (राज0)
2. अमित विजय पुत्र रतनलाल विजय जाति महाजन निवासी 78, आर्दश नगर, मालपुरा, तह0 मालपुरा जिला टोंक (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार पीपलू, जिला टोंक (राज0)
2. अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, बीसलपुर विस्थापित, कार्यालय देवली जिला टोंक (राज0)
3. अन्नदाकंवर पुत्री भंवरसिह जाति राजपूत निवासी डाबरखुर्द हाल निवासी कैलाशपुरी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. उम्मेद सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी डाबरखुर्द हाल निवासी कैलाशपुरी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. चन्दा कंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी डाबरखुर्द हाल निवासी कैलाशपुरी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
6. भंवर कंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी डाबरखुर्द हाल निवासी कैलाशपुरी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
7. रतन कंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी डाबरखुर्द हाल निवासी कैलाशपुरी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
8. शंकर सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी डाबरखुर्द हाल निवासी कैलाशपुरी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
9. शम्भू पुत्र भंवरसिंह भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी डाबरखुर्द हाल निवासी कैलाशपुरी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक

अधिवक्ता प्रार्थीगण—श्री नन्दकिशोर शर्मा एड0
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01—पैरोकार सरकार
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02—स्वयं उपस्थित
अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 09—अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र वास्ते रास्ता दिलवाये जाने बाबत् अन्तर्गत धारा 251 ए राज.टि.एक्ट. 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र वास्ते रास्ता दिलवाये जाने बाबत् प्रस्तुत कर कथन किया की भूमि आराजी ख0न0 939/9 रकबा 0.7208 हैक्ट. वाके ग्राम कैलाशपुरी, पटवार हल्का नानेर, तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है, जो प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमें प्रार्थीगण वर्षो से पक्की सडक ख0न0 878/3 की उत्तरी मेड पर स्थित पक्की सडक से लेकर ख0न0 878/3, 889, 839/15 के दक्षिणी तरफ से प्रार्थीगण अपनी भूमि में सदा सर्वदा से आते जाते है। प्रतिपक्षी संख्या 01, 02 की खातेदारी भूमि ख0न0 878/3, 839 व ख0न0 939/3 है व ख0न0 939/15 अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 09 की खातेदारी में है, में से होकर वर्षो से रास्ता बना हुआ है और उसी रास्ते से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर आते जाते है तथा इसी में से होकर अपने कृषि कार्य हेतु हल, कुली, ट्रेक्टर, ट्रोली आदि को लाते ले जाते है। प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी की भूमि ख0न0 878/3, ख0न0 839 व ख0न0 939/3 है व ख0न0 939/15 अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 09 की खातेदारी पर बने हुए रास्ते में से सदा सर्वदा से आते जाते है। मौके पर उक्त रास्ता वर्षो से बना हुआ है तथा ग्रेवल सडक बनी हुई है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी भूमि ख0न0 939/9 तक आने जाने व काश्त करने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। उक्त भूमि प्रतिपक्षी के नाम दर्ज होने से अब उनकी नियत में बेईमानी आ गयी है तथा उन्होने नाजायज रूप से प्रार्थीगण का आवागमन अवरूद्ध कर दिया है तथा अनावश्यक रूप से लडाई झगडा प्रारम्भ कर दिया है। जिससे प्रार्थीगण को अपने खेतो पर कृषि कार्यो के लिए आना जाना अवरूद्ध हो गया है। ऐसी स्थिती में प्रार्थीगण को अप्रार्थी की भूमि प्रतिपक्षी संख्या 01, 02 की खातेदारी की भूमि ख0न0 878/3, ख0न0 839 व ख0न0 939/3 है व ख0न0 939/15 अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 09 की खातेदारी की खातेदारी से प्रार्थीगण को अपनी भूमि ख0न0 939/9 तक आने जाने व कृषि कार्य करने हेतु 30 फिट रास्ता दिलवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

से अंकन किया जाना तथा प्रतिपक्षी को चालू रास्ते को बन्द नही करने हेतु पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को आराजी ख0न0 939/9 रकबा 0.7208 हैक्ट. ग्राम कैलाशपुरी तह0 पीपलू में आने जाने के लिए प्रतिपक्षी संख्या 01 व 02 की खातेदारी की भूमि ख0न0 878/3, 839 व ख0न0 939/3 है व ख0न0 939/15 अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 09 की खातेदारी से प्रार्थीगण को अपनी भूमि ख0न0 939/9 तक होकर 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जाकर राजस्व शीट में गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं तहसीलदार पीपलू से चाहे गये रास्ते की मौका निरीक्षण रिपोर्ट चाही गई। प्रतिपक्षी संख्या 01 लगायत 02 ने उपस्थित होकर जवाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिपक्षी संख्या 03 लगायत 09 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

प्रतिपक्षी संख्या 02 ने अपने जवाब में कथन किया है कि उक्त विवादित आराजीयात से रास्ता बना हुआ है। मौके पर उक्त बने हुए रास्ते से ही लोग आते जाते है। लेकिन प्रार्थीगण के पास अन्य रास्ते भी अपनी भूमि में आने जाने के लिए मौजूद है। जहां से भी प्रार्थीगण आते जाते है। अप्रार्थी संख्या 02 के नाम स्थित भूमि पर मौके पर रास्ता होना स्वीकार है, लेकिन अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से उक्त रास्ते को बन्द नही किया जा रहा है, जो तथ्य अंकित किये गये है। वह गलत है। मौके पर रास्ता है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा मौके पर चालू रास्ते को बन्द नही किया जा रहा है। अतः अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो एवं मौके की जांच कर उचित निर्णय पारित किया जावे।

प्रतिपक्षी संख्या 01 तहसीलदार पीपलू ने जवाब प्रस्तुत कर निवदेन किया कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 939/9 में पहूंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 939/9 में पहूंचने के लिए रास्ते की आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते की ख0न0 878/3 में लम्बाई 300 मीटर व चौडाई 9.14 मीटर रकबा 0.2742 हैक्ट.,ख0न0 889 में लम्बाई 240 मीटर व चौडाई 9.14 मीटर रकबा 0.2193 हैक्ट., ख0न0 939/15 में लम्बाई 42 मीटर व चौडाई 9.14 मीटर रकबा 0.0384 हैक्ट., ख0न0 939/13 में लम्बाई 26 मीटर व चौडाई 9.14 मीटर रकबा 0.237 हैक्ट., ख0न0 939/12 में लम्बाई 64 मीटर व चौडाई 9.14 मीटर रकबा 0.0585 हैक्ट., ख0न0 939/11 में लम्बाई 44 मीटर व चौडाई 9.14 मीटर रकबा 0.0402 हैक्ट., ख0न0 939/10 में लम्बाई 32 मीटर व चौडाई 9.14 मीटर रकबा 0.292 हैक्ट. है। इस प्रकार प्रस्तावित रास्ते की कुल लम्बाई 748 मीटर एवं चौडाई 9.14 मीटर है। प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षेत्रफल 0.6837 हैक्ट. है। प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर 10,80,870 रूपये प्रति हैक्ट. है। प्रस्तावित रास्ते की डी.एल.सी. दर 7,38,990 रूपये बनती है।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

जिसकी दोगुनी दर से प्रतिकर राशि 14,77,980 रूपये है। ख0न0 939/9 रकबा 0.7208 हैक्ट. आवेदक की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। आवेदक द्वारा ख0न0 878/3, 889, 939/15, 939/3 में से 30 फिट चौडाई का रास्ता चाहा गया है। ख0न0 878/3 से आवेदक की खातेदारी भूमि के मध्य 878/3, 889, 939/15, 939/3, 939/10, 939/11, 939/12, 939/13 आते है। ख0न0 878/3, 889, 939/3 बिसलपुर विस्थापित आवंटन हेतु आरक्षित भूमि है। ख0न0 939/15, 939/10 से लेकर 939/13 तक खातेदारी भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। ख0न0 878/3, 889, 939/15 में मौके पर सिंचाई विभाग की नहर निकली हुई होने के कारण रास्ता प्रस्तावित नही किया गया। उक्त नहर पर लगभग 15 फिट चौडी पुलिया बनी हुई है। जिससे खातेदार व अन्य लोग आते जाते है। ख0न0 939/15 में पुलिया तक रास्ता प्रस्तावित किया गया है। ख0न0 939/10 से लेकर ख0न0 939/13 तक आवेदक की खातेदारी भूमि में पहूंच मार्ग हेतु रास्ता प्रस्तावित किया गया है। उक्त ख0न0 में से दावे में रास्ता नही चाहा गया हैं। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड/दीवार नही है तथा ख0न0 939/3 में नहर बनी हुई है। प्रस्तावित रास्ता अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त प्रकरण में रिपोर्ट/तहसीलदार पीपलू से जवाब प्राप्त हुआ है, जिसमें ख0न0 878/3 में से भी रास्ते की रिपोर्ट बनाकर भेजी गई है, जबकि ख0न0 878/3 व 889 के मध्य स्थित रास्ते से ख0न0 889 में से होकर रास्ते की रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। जिससे राजकीय भूमि का रकबा कम नष्ट हो। तहसीलदार पीपलू से पुनः ख0न0 889 से होकर प्रार्थीगण के खेत तक रास्ते की रिपोर्ट मंगवायी जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है व ख0न0 939/10, 939/11, 939/12, 939/13 जो प्रार्थीगण की खातेदारी में है। उन्ही को भी जोडते हुए रिपोर्ट तैयार करने का आदेश किया जावे। अतः प्रार्थना पत्र धारा 151 सी. पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पुनः तहसीलदार पीपलू से रिपोर्ट मंगवाया जाने का आदेश प्रदान करे।

प्रा0पत्र 151 सी.पी.सी. पर प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर पुनः पत्रांक 3960 दिनांक 29.10.2025 से तहसीलदार पीपलू से रिपोर्ट चाही गई, जो पत्रांक 938 दिनांक 13.11.2025 से न्यायालय हाजा को प्राप्त हो चुकी है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पीपलू के अनुसार प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में पहूंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी भूमि में पहूंचने के लिए रास्ते की आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते की ख0न0 889 में लम्बाई 240 मीटर व चौडाई 9 मीटर रकबा 0.2160 हैक्ट., ख0न0 939/15 में लम्बाई 42 मीटर व चौडाई 9 मीटर रकबा 0.0378 हैक्ट., ख0न0 939/13 में लम्बाई 26 मीटर व चौडाई 9 मीटर रकबा 0.234 हैक्ट., ख0न0 939/12 में लम्बाई 64 मीटर व चौडाई 9 मीटर रकबा 0.0576 हैक्ट., ख0न0 939/11 में लम्बाई 44 मीटर व चौडाई 9 मीटर रकबा 0.0396 हैक्ट., ख0न0 939/10 में लम्बाई 32 मीटर व चौडाई 9 मीटर रकबा 0.

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

288 हैक्ट. है। इस प्रकार प्रस्तावित रास्ते की कुल लम्बाई 448 मीटर एवं चौड़ाई 9 मीटर है। प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षेत्रफल 0.4032 हैक्ट. है। प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर 10,80,870 रूपये प्रति हैक्ट. है। प्रस्तावित रास्ते की डी.एल.सी. दर 4,35,807 रूपये बनती है। जिसकी दोगुनी दर से प्रतिकर राशि 8,71,614 रूपये है। ख0न0 939/9 रकबा 0.7208 हैक्ट. आवेदक की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। आवेदक द्वारा अपनी खातेदारी खेत में आने जाने के लिए ख0न0 889, 939/15, 939/13, 939/12, 939/11, 939/10 में से रास्ता चाहा गया है। उक्त ख0न0 में मौके पर पूर्व में चालू रास्ते अनुसार ही लगभग 30 फिट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। ख0न0 939/15 व 939/13 के मध्य ख0न0 939/3 है। जिसमें से मौके पर सिंचाई विभाग की नहर निकली हुई होने के कारण रास्ता प्रस्तावित नही किया गया है। उक्त नहर पर आने जाने के हेतु लगभग 15 फिट चौडी पुलिया बनी हुई है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड/दीवार नही है तथा ख0न0 939/3 में नहर बनी हुई है। प्रस्तावित रास्ता अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है।

उभयपक्ष अधिवक्ता ने बहस का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया की भूमि आराजी ख0न0 भूमि आराजी ख0न0 939/9 रकबा 0.7208 हैक्ट. वाके ग्राम कैलाशपुरी, पटवार हल्का नानेर में स्थित है, जो प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमें प्रार्थीगण वर्षो से ख0न0 880 किस्म गै.मु. रास्ते से होते हुए अप्रार्थीगण की खातेदारी ख0न0 889, 839/15 के दक्षिणी तरफ ग्रेवल सडक निर्मित है तथा उक्त ग्रेवल सडक से लगता हुआ प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 939/13 है तथा ख0न0 913 के लगते हुए ख0न0 939/12, 939/11, 939/10 भी प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण की खातेदारी ख0न0 939/13 में मौके पर ग्रेवल रास्ता बना हुआ है, जो आम जन उपयोग उपभोग हेतु अनवरत रूप से चालू है एवं निर्बाध रूप से आवागमन चालू है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 939/9 में आने जाने हेतु ख0न0 880 किस्म गै.मु. रास्ते से होते हुए प्रतिपक्षीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 889, 939/15 से होते हुए अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 939/13, 939/12, 939/11, 939/10 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे आते जाते रहे है। उक्त प्रतिपक्षीगण की खातेदारी की आगे ख0न0 939/13, 939/12, 939/11, 939/10 प्रार्थीगण की स्वयं की निजी खातेदारी है। तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि में से होकर रास्ता प्रस्तावित कर डी.एल.सी. राशि तय की गई है, जबकि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी 939/13, 939/12, 939/11, 939/10 से प्रस्तावित रास्ते को सहमति से ही निःशुल्क राजहित में गै.मु. रास्ते हेतु समपर्ण करने हेतु सहमत है। अतः उक्त प्रार्थीगण की निजी खातेदारी से डी.एल.सी. राशि का ऑर्डर किया जाना तर्क संगत नही है, क्योकि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता अनुसार निशुल्क राजहित में समपर्ण करने को तैयार है। मौके पर प्रतिपक्षीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 889 व 839/15 से ग्रेवल सडक हैं, जिसमें से होकर वर्षो से रास्ता बना हुआ है और उसी रास्ते से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर आते जाते है तथा

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

इसी में से होकर अपने कृषि कार्य हेतु हल, कुली, ट्रेक्टर, ट्रोली आदि को लाते ले जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी भूमि ख0न0 939/9 तक आने जाने व काश्त करने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। ऐसी स्थिती में प्रार्थीगण को ख0न0 880 किस्म गै.मु. रास्ता से प्रतिपक्षीगण की खातेदारी की भूमि ख0न0 889 व 939/15 से होकर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए 30 फिट चौडाई का रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाया जाने हेतु निवेदन कर कथन किया है कि ख0न0 939/13, 939/12, 939/11, 939/10 प्रार्थीगण की स्वयं की निजी खातेदारी भूमि है। जिसमें प्रार्थीगण राज्य सरकार के पक्ष में प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई चौडाई अनुसार स्वयं समपर्ण कर देगे। जिससे ख0न0 939/9 तक प्रार्थीगण को पहूंच मार्ग उपलब्ध हो जायेगा। इस प्रकार भूमि आराजी ख0न0 939/9 तक आने जाने व कृषि कार्य करने हेतु प्रार्थीगण को 880 किस्म गै.मु. रास्ता से प्रतिपक्षीगण की खातेदारी की भूमि ख0न0 889 व 939/15 से होकर प्रस्तावित रास्ता अनुसार 30 फिट चौड़ाई का रास्ता दिलवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से अंकन किये जाने का आदेश प्रदान करे।

पैरोकार सरकार प्रतिपक्षी संख्या 01 ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 939/9 में पहूंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 939/9 में पहूंचने के लिए रास्ते की आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते की कुल लम्बाई 448 मीटर एवं चौडाई 9 मीटर है। प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षैत्रफल 0.4032 हैक्ट. है। प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी. एल.सी. दर 10,80,870 रूपये प्रति हैक्ट. है। प्रस्तावित रास्ते की डी.एल.सी. दर 4,35,807 रूपये बनती है। जिसकी दोगुनी दर से प्रतिकर राशि 8,71,614 रूपये है। आवेदक की खातेदारी भूमि के मध्य 889, 939/15, 939/13, 939/12, 939/11, 939/10 आते जाते है। ख0न0 939/15 व 939/13 के मध्य ख0न0 939/3 है। जिसमें से मौके पर सिंचाई विभाग की नहर निकली हुई होने के कारण रास्ता प्रस्तावित नही किया गया है। उक्त नहर पर आने जाने के हेतु लगभग 15 फिट चौडी पुलिया बनी हुई है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड/दीवार नही है तथा ख0न0 939/3 में नहर बनी हुई है। प्रस्तावित रास्ता अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अनुसार अन्य खातेदार की जोत में से नया मार्ग दिये जाने हेतु संक्षिप्त जॉच के बाद यह समाधान होना आवश्यक है, कि प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता हो तथा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। धारा 251–ए में खातेदार को पडौसी खातेदार की भूमि से रास्ता मांगने का प्रावधान है, किन्तु यह भी देखा जाना चाहिए कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का स्वरूप बिगाड़ने के उद्देश्य से उक्त प्रावधान का उपयोग तो नहीं हो रहा है। तहसीलदार पीपलू की रिपोर्ट अनुसार आवेदकगण अपनी खातेदारी भूमि में पहूंचने हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है तथा अन्य कोई

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

निकटतम वैकल्पिक रास्ता नही होना बताया गया है। तहसीलदार पीपलू की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता मौके पर ग्रेवल रोड बनी हुई है और प्रस्तावित भूमि का मौके पर रास्ता हेतु उपयोग हो रहा है। प्रस्तावित रास्ता के ख0न0 939/13, 939/12, 939/11 व ख0न0 939/10 की आराजी स्वयं प्रार्थीगण के ही नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। स्वयं की भूमि में धारा 251 ए के स्थान पर सीधे ही राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण करने हेतु प्रार्थी स्वतन्त्र/सहमत है। अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए स्वीकार किया जाकर आवेदकगण को अपनी खातेदारी भूमि आराजी ख0न0 939/9 रकबा 0.7208 हैक्ट. वाके ग्राम कैलाशपुरी, पटवार हल्का नानेर में आने जाने के लिए ख0न0 880 किस्म गै.मु. रास्ते से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 889, 939/15 में से होकर मुताबिक प्रस्तावित रास्ता अनुसार 9 मीटर चौडाई का रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा प्रार्थीगण स्वयं की आराजी ख0न0 939/13, 939/12, 939/11 व ख0न0 939/10 में प्रस्तावित रास्ता अनुसार निशुल्क गै.मु. रास्ते हेतु राजहित में नियमानुसार समपर्ण तहसीलदार पीपलू के समक्ष किया जाना सुनिश्चित करे। तहसीलदार पीपलू ख0न0 889, 939/15 में प्रस्तावित रास्ते में काम आने वाली भूमि का क्षेत्रफल निकालकर नवीनतम डी.एल.सी. दर के आधार पर दुगुनी प्रतिकर राशि की गणना कर, रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की मालियत का मूल्याकंन करे, तद्नुसार प्रार्थीगण द्वारा राशि जमा राजकोष किंये जाने के उपरान्त रास्ते हेतु राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ते का अंकन करे एवं नक्शा शीट में प्रस्तावित नक्शा अनुसार अलग से खसरा नम्बर कायम कर रास्ते के रूप में अंकन कर पुख्ता तरमीम की जावे। तहसीलदार पीपलू नवीन रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 01 में करे एवं नक्शा शीट मुताबिक प्रस्तावित नक्शा शीट अनुसार तरमीम करे। उक्त प्रस्तावित रास्ता सार्वजनिक उपयोग उपभोग के लिए आमजन के लिए रहेगा। निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(गणराज बड़गोती आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)